CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI, LUCKNOW-226101 (UTTAR PRADESH)



TENDER FOR HORTICULTURE FIELD WORK AT R.B.ROAD CAMPUS, REHMANKHERA, BLOCK I, II, III & IV, CISH, LUCKNOW AND CISH-RRS, Malda (W.B.)



TENDER DOCUMENT

LAST DATE FOR RECEIPT OF BID 01.12.2016 UPTO 4.00 PM

Date of opening:-

1. Technical Bid opening date: 02.12.2016 at 11.00 am

2. Financial Bid opening date: The date for opening the financial bid shall

be intimated to the successful bidder who

qualify the technical bid

Phone No. 0522-2841022, 2841023

FAX No. 0522-2841025

WEBSITE: www.cish.res.in
Email: cish.lucknow@gmail.com

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI LUCKNOW-226101 (UTTAR PRADESH)

TENDER FOR HORTICULTURE FIELD WORK AT R.B.ROAD CAMPUS, REHMANKHERA, BLOCK I, II, III & IV CISH, LUCKNOW AND CISH-RRS, Malda (W.B.)

Index

| SR. | DESCRIPTION | PAGE NO. |
|-----|---|----------|
| NO. | | |
| 1. | Letter addressed to tenderer having | 4 -7 |
| | general information and guidelines of the | |
| | tender | |
| 2. | Letter from the tenderer addressed to | 8 |
| | Director, CISH, Lucknow | |
| 3. | Proforma of Experience (Annexure . I) | 9 |
| 4. | Schedule . I of Tender containing part . I,II | 10 -11 |
| | & III | |
| 5. | Schedule . II containing Scope of Work | 12 - 21 |
| | Work to be executed & General | |
| | Information, other Terms & Conditions of | |
| | the Service Contract | |
| 6. | Financial Bid (Annexure . II) | 22 - 24 |
| 7. | Technical Bid (Annexure - III) | 25 |

ICAR- CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI, LUCKNOW-226101 (UTTAR PRADESH)

TENDER FOR HORTICULTURE FIELD WORK AT R.B.ROAD CAMPUS, REHMANKHERA, BLOCK I, II, III & IV, CISH, LUCKNOW AND CISH-RRS, Malda (W.B.)

IMPORTANT DATES AND INFORMATION

| S. N. | DETAILS OF SCHEDULE | DATE, TIME AND INFORMATION | | |
|----------|--|--|--|--|
| 1. | RECEIPT OF SEALED TENDERS | 01.12. 2016 up to 4.00 pm | | |
| 2. | OPENING OF TECHNICAL BID | 02.12. 2016 at 11.00 am | | |
| 3. | OPENING OF FINANCIAL BID | The date for opening the financial bid shall be intimated to the successful bidder who qualify the technical bid | | |
| 4. | | 180 Days form the date of opening of | | |
| | VALIDITY OF TENDER | tender | | |
| 5. | CONTRACT PERIOD | One year from the date of award | | |
| 6. | AMOUNT OF EARNEST MONEY DEPOSIT | Rs. 80,000/- | | |
| 7. | AMOUNT OF HORTICULTURE FIELD WORK PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT | 10% of the tendered amount | | |
| 8. | PAYMENT BY CISH, LUCKNOW | Monthly bills and on production of certification by the concerned | | |
| <u> </u> | | | | |

Important

- 1. The Tender is consisting of Two Bid system, Financial Bib and Technical bid. Both the Bids should be sealed in separate envelop duly superscribed. The financial bid will be opened only to those tenderers who qualify/fulfill the technical bid.
- 2. Technical bid contain all terms & conditions along with commercial terms and conditions.
- 3. As per the previous records of the Institute the tentative expenditure on Horticulture & Field work, which are mentioned in this tender is around Rs.35,00,000/- per annum.

भा कृ अनु परि – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ — 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226 101(India)

| F. No. 1-14(Hort.work/2016-17 | Dated : | .10.2016 |
|-------------------------------|---------|----------|
| То | | |
| | | |
| | | |

Sub: INVITATION OF SEALED TENDERS IN RESPECT OF OUTSOURCING OF SEASONAL JOBS - *Horticulture Field Work -at* CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.).

Dear Sir(s),

Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow has two experimental farms, one each located at Rehmankhera (Area: 132.5 ha), 30 kms far from Lucknow city on Hardoi road and the other at Raibareilly Road (Area: 13.2 ha) and CISH-RRS, Malda (W.B.) (Area: 70.04 Acres) the present tender is for these three farms.

Sealed Tenders are hereby invited on behalf of the Director, CISH for outsourcing of seasonal jobs for PROVIDING Horticulture Field Work –at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.)

- 1. This Tender consist of Two Bid system, the Financial Bid and the Technical Bid. Both the Bids should be sealed in separate envelop duly superscribed. The financial bid will be opened only to those tenderers who qualify/fulfill the technical bid.
- 2. Technical bid consisting of all technical details along with commercial terms and conditions is enclosed as ANNEXURE III.
- 3. The terms and conditions of the contract which will govern any contract made are those contained in the General conditions of contract applicable to the contracts and spell schedule and the special terms and conditions detailed in the Tender forms and its schedules. Please submit your rates in the Tenders form if you are fulfilling GOI norms and in a position to provide the requisite services in accordance with the requirements stated in the attached schedules.
- 4. The Firms/ parties quoting/offering on downloaded tender form from website will have to submit the tender cost of Rs. 1000/- only in the shape of Bank Draft in favour of "ICAR Unit CISH" Lucknow for each item seperately, failing which the tender will be liable to be rejected.

- 5. An earnest money of **Rs. 80,000.00** must be deposited in the form of demand draft/pay order payable to **ICAR Unit CISH**, **Lucknow**. The particulars of the earnest money deposited must also be superscribed on the top of the envelope by indicating the draft/pay order number and date. The Tender will not be considered if earnest money is not deposited with the Tender.
- 6. The Tenderer is being permitted to give Tender in consideration of the stipulations on his part that after submitting his Tender, he will not resile from his offer or modify the terms and conditions thereof. If the Tenderer fails to observe and comply with the foregoing stipulation the aforesaid amount, the EMD will be forfeited by the Institute. In the event of the offer made by the Tenderer not being accepted, the amount of earnest money deposited by the Tenderer will be refunded to him after he has applied for the same, in the manner prescribed by the Institute without any interest.
- 7. The Schedules of the Tender form should be returned intact and pages should not be detached. In the event of the space provided on the schedule form being insufficient for the required purpose, additional pages may be added. Each additional page must be numbered consecutively and be signed in full by the Tenderer. In such cases reference to the additional pages must be made in the Tenders form. Overwriting/erasing in rates to be quoted by the Tenderer will not be allowed otherwise the Tenders may be rejected.
- 8. The Tenders are liable to be ignored if complete information as required is not given therein or if the particular asked for in the schedules to the Tenders is not fully filled in. Individual signing the Tenders or other documents connected with the contract may specify whether he signs it in the capacity of (i) a sole proprietor of the firm or constituted attorney of such sole proprietor, or (ii) a partner of the firm if it be partnership in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership whether by virtue of the partnership agreement or power of attorney or (iii) constituted attorney of the firm if it is a company.
- 9. If Tenderer does not accept the offer, after issue of letter of award by CISH within 15 days, the offer made shall be withdrawn & Earnest money deposited will be forfeited.
- 10. In case of partnership firms, where no authority to refer disputes concerning the business of the partnership has been conferred on any partner, the Tenders and all other related documents must be signed by every partner of the firm. A person signing the Tenders form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has authority to bind such offer and if, on enquiry it appears that the persons so signing had no authority to do so, the Council shall without prejudice to other civil and criminal remedies cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages. Each page of the Tenders and the schedules to the Tenders and annexure, if any, should be signed by the Tenderer.
- 11. The original copy of the Tenders is to be enclosed in double cover. The Inner cover should be sealed. The outer cover should be superscribed " PROVIDING for seasonal Horticulture Field Work —at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow" and CISH-RRS, Malda (W.B.) with address of this office. ‰echnical bid Financial bid and the main envelop separate. All Tenders should be sent by registered post / Speed Post. Tenders to be hand delivered should be put in the Tenders box, which will be kept in the room of Asstt. Administrative Officer of the CISH, Rehmankhera . 226 101

- 12. The rates quoted by firms for job contract for **PROVIDING seasonal** *Horticulture Field Work –at* **CISH Rehmankhera/R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.)** in the tender are the same, are liable to be rejected. You are at liberty to be present or to authorize a representative to be present at the time of opening of the Tenders. The name and address of the representative who would be attending the opening of the Tenders on tenderers behalf should be indicated in the Tenders. Please also state the name and address of your permanent representative, if any.
- 13. The Institute is not bound itself to accept the lowest or any other Tenders and also reserve the right of accepting the Tenders in whole or in part of the Tenders. You are however at liberty to Tender for the whole or any portion. Other conditional Tenders will not be accepted.
- 14. An amount of equivalent to 10% of total contract value will have to be deposit as a Horticulture Field Work Performance Security deposit by the Selected Agency/Successful Tenderer only after receiving a communication from the Institute. In the event of non-deposition of the same, the earnest money deposited will be forfeited.
- 15. No interest on Horticulture Field Work security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute to the Tenderer.
- 16. The service tax or any other tax on material/service in respect of this contract shall be payable by contractor as per GOI rules and Institute will not entertain any claim whatsoever in this respect The Service registration tax No. along with TIN No.must be invariably mentioned as well as in the bills for payment. The Income tax or any other tax which is as per the rule of the **Govt. of India, UP, WB and other statutory bodies** shall be paid by the agency itself to the concerned department. Institute will deduct only TDS @ prescribed rate from the monthly bills of the successful tenderer as per the rule/ instructions made applicable form time to time by Government against which necessary Form-16 A will be issued.
- 17. Director, CISH reserves the right to reduce or terminate the period of contract or to extend its duration in the interest of the Institute, for any justifiable reasons, to be communicated to the Tenderer.
- 18. Decision of Director, CISH will be final for any aspect of the contract and binding to all parties. Disputes arising, if any on the contract will be settled at his/her level by mutual consultation and in case of failure of settlement dispute shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the Director CISH, Lucknow. The decision of the sole arbitrator so appointed by the Director CISH, Lucknow shall be final and binding on the parties. The arbitrator proceeding shall be governed by the arbitration & constitution Act 1996.
- 19. Acceptance by the Institute will be communicated by FAX or any other form of communication. Formal letter of acceptance and work order of the Tender will be forwarded as soon as possible, but the instructions in the FAX, letter etc. should be acted upon immediately.
- 20. The contract will be initially for a period of one year. The period of contract may be changed, which is, as per the discretion of the competent authority and can be extended for a further period of one year subject to maximum duration of 2 years during the period of contract on such terms and conditions as are mutually agreed upon.

- 21. This Institute implements provisions of the RTI Act 2005. The information provided is liable to be disclosed.
- 22. Successful bidder need to abide by all the provisions of the minimum wages act, child labour act and /or other Labour acts in force on tenderer in providing services to the Institute.
- 23. The ESI and EPF acts as applicable will also have to abide by the successful tenderer. On requirement of the Institute the successful tenderer will have to deposit/submit the ESI and EPF numbers of the staff working in the Institute and also submit the receipts on account of deposit of the money in the office of ESI and EPF in respect of the staff working at the Institute.
- 24. Successful Tenderer will have to enter into a detailed contract agreement with CISH on non-judicial stamp paper of Rs. **100/-** for each work.
- 25. The wages to be provided by the contractor to the staff will be governed by the State Govt./Central Govt. minimum labour wages act.
- 26. The documents are required to be enclosed with the Tender form which will be the part of the **Technical bid** of the Tender document are shown in Annexure-III of Tender Document.
- 27. Execution of the work will start only after completion of all the codal formalities, like agreement on Rs.100.00 Non-Judicial Stamp paper, deposit of Performance security i.e. 10% (ten percent) of total contract value.
- 28. Contractor should submit quarterly return of Service tax as charged by him in the quarter from the Institute.

Yours faithfully,

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER FOR ON BEHALF OF DIRECTOR, CISH, LUCKNOW

TENDER FOR ANNUAL CONTRACT FOR **PROVIDING** *Horticulture Field Work –at* **CISH Rehmankhera**, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.)

| addition be quot office): Telepho Telegra | me & Address of the Tenderer in to Post Box No. (if any, should ted in all communications to this cone No. : aphic Address/FAX/Cellular No.: address : | | |
|---|---|---|--|
| From | | | - |
| То | The Director, CISH, Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow . 226101 | | |
| | | g the General information and other terms and | |
| R.B. F service accepta and I/w year in | Road Campus, Lucknow and C s as detailed in the schedule herein ance of the Tender at the rates given in the agree to hold this offer open till 90 | CISH-RRS, Malda (W.B.) and agree to n or to such portion thereof as you may sp in the prescribed schedule as financial bid of 0 days. The rates quoted will be valid for a pot. I/We shall be bound by a communication | provide the ecify in the this Tender eriod of one |
| 2. service | I/We have understood these terms as strictly in accordance with these requ | and conditions for the contract and shall provide uirements. | e the best |
| 3. Schedu | The following pages have been addeules-I & II to accompany this Tenders a | ed to and form a part of this Tenderare at pages | The |
| 4. | Every page so attached with this Ter | nder bears my signature and the office seal. | |
| 5. Unit CI require | SH, Lucknow and payable at Lucknow | of Rs drawn in favor w is enclosed as earnest money | our of ICAR |
| | | Yours faithfu | illy, |
| Addres | : ss ation | Signature & Seal of the Telephone No. Office Resi. Mobile | |
| Signat Addre | ture of witness to contractor's si ss : | ignature | |
| Name Addre | & Signature of Witness : | | |

Annexure - I

Details of the Minimum 3 years experience/work done.

| SI. No. | Name of the Deptt./Organisation & Name of the contact person with Phone No. | Period | | No. of staff deployed | Remarks |
|------------|---|--------|----|-----------------------------|---------|
| | | From | То | | |
| | | | | _ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Authorized Signatory

SCHEDULE - I

SCHEDULE TO TENDERS

PART - I

- 1. Name of the Firm/Agency
- Full address with Post Box No. And Telephone No. if any
- Constitution of the Firm/ Agency (Attached copy)
 - a) Indian Companies Act, 1956
 - b) Indian Partnership Act, 1932 (Please give names of partners)
 - c) Any other Act, if not, the owners
- 4. For Partnership firms whether registered under the Indian Partnership Act, 1932, please state further whether by the partnership agreement to arbitration has been conferred on the partner who has signed the Tender.
 - i) If answer to the above is in negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the Tenders to refer dispute condemning business of the partnership to arbitration
 - ii) If the answer to above is in point one and two the affirmative please furnish a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be. The copy should be attested by a Notary Public or its execution would be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all partner
 - As Per Ministry of Finance, Government of India order no. 1(1)/2011/TA/292, dated 31.03.2012 e-payments for more than Rs. 25,000.00 is mandatory. Hence following information needs to be provided

| | c) IFSC Code No. of the Banker |
|--------|---|
| 6. | Your Permanent Income Tax No (PAN)./Circle/Ward |
| 7. | Any other relevant information |
| 8. | Service tax registration No. |
| 9. | TIN No. |
| | |
| | PART – II |
| 10. | Earnest Money Deposited: Yes/No |
| | PART – III |
| 11. | Name and Address of the firm representative and whether the firm would be representing at the opening of the Tenders |
| 12. | Name of the Permanent Representative to be visiting CISH Rehmankhera/R.B. Road Campus regarding the contract (Separately may be indicated for Rehmankhera and R.B. Road Campus) |
| Date : | |
| Place: | |
| | AUTHORISED SIGNATORY |
| | |
| | |
| | |
| | |

a) Name and Full Address of your Bankeros

b) Bank Account No. of the firm

Please add supplementary pages to be numbered wherever needed by the Tenderer.

Schedule -II

(Work to be Executed/ Scope of Work)

GENERAL INFORMATION & OTHER TERMS & CONDITIONS OF THE CONTRACT INCLUDING SCOPE OF WORK/WORK TO BE EXECUTED FOR PROVIDING *Horticulture Field Work at* CISH Rehmankhera/R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.):

Separate rates may be quoted for Rehmankhera and R.B. Road Campus and CISH-RRS, Malda (W.B.)

- 1. The following Horticulture Field Work is to be executed by the tenderer, who will be awarded the work contract of Horticulture Field Work arrangements. This Horticulture field work includes the work of so many external aided projects, which are under the administrative control of Institute. So many poly houses/net houses are also available in the premises of the Institute, which remain in full use throughout the year in cultivation of vegetables, fruits through different ways of cropping, like intercropping etc. In addition to it, the block-lst of the Rehmankhera, the work of nursery is also done through the method of outsourcing. For this purpose all the work right from the setting of seedlings under poly house and maintenance of the plant upto the saleable stage is also done through outsourcing. All these works are included in this tender.
- 2. The total tentative expenditure on outsourcing of seasonal jobs -Horticulture & Field work of the Institute and the external aided projects attached and in the administrative control of this Institute is around Rs. 35.00 lakh (Rs. Thirty Five Lakh only) per annum for the year 2015-16. The same is expected in the next coming years, keeping in view of the requirement of the above work.
- 3. The rates to be provided in this tender by the tenderer will be as per the unit given against each work as tabulated below:-

| क्र0सं0 | Nature of Work as per Outsourcing Format | |
|---------|---|---------------------------|
| | | 0.0: |
| 1. | मेड़ों की सफाई व उन पर उग रहे पौधे की जड़ो को निकालने का कार्य | प्रति रनिंग मी. |
| 2. | थाला बनाने का कार्य / थालों की गुड़ाई / थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का कार्य (1 मीटर व्यास) | प्रति थाला |
| 3. | थाला बनाने का कार्य / थालों की गुड़ाई / थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय (2 मीटर व्यास) | प्रति थाला |
| 4. | थाला बनाने का कार्य / थालों की गुड़ाई / थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय 3 मीटर व्यास) | प्रति थाला |
| 5. | प्लाटों में ट्यवेल द्वारा सिंचाई का कार्य | प्रति है0 |
| 6. | आम व अन्य पौधों में टैंकर द्वारा स्प्रे का कार्य | प्रति टैंकर (2000 ली0) |
| 7. | आम आंवला को सुरक्षित तोड़ने के बाद कैरट भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना | प्रति घण्टा |
| 8. | कीट ना ाकों व सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव | प्रति घण्टा |
| 9. | अमरूद एवं आंवला के पेड़ो में तना भेदक कीट का प्रकोप होने पर तीली द्वारा छेदो की सफाई करके उसमें कीट ना ाक भरना | प्रति घण्टा |
| 10. | आम, अमरूद एवं आंवला के पेड़ो पर जमींन की सतह से 1 मीटर तक तने की पुताई का कार्य | प्रति घण्टा |
| 11. | आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों की कटाई छंटाई उपरान्त गिरे हुए पत्तों एवं डालो को खेत से हटाना | प्रति घण्टा |
| 12. | आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों में प्लास्टिक मि्लवंग बिछाने का कार्य | प्रति वर्ग मी |
| 13. | जुताई के दौरान ड्रिप पाइप को हटाना एवं जुताई के बाद बिछाना | प्रति है0 |

| 14. | आम, आंवला एवं अमरूद के प्लाटों में अन्तः फसल लगाने हेतु बेड बनाने का कार्य ;बेडो में गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद का मिश्रण मिलाने का कार्य | प्रति १०००वर्ग मी |
|-----|--|-----------------------------|
| | | प्रति वर्ग मी |
| 15. | अन्तः फसल लगाने हेतु बेडो पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा प्लास्टिक मिल्वंग भीट बिछाने का कार्य; मिल्वंग भीट में छेद करके पौध रोपने का कार्य | प्रात वर्ग मा |
| 16. | आम, अमरूद व सिब्जयों के पौधों को सहारा देने हेतु स्टेकिंग का कार्य | प्रति १०० पौधा |
| 17. | अन्तः फसल सब्जियो के पौधों में पिंचिंग एवं ट्रेनिंग उपरान्त कूड़े का निस्तारण | ,प्रति100 वर्ग मी |
| | आम के बाग में लगी अन्तः फसले के पौधों की निकाई का कार्य | प्रति 1000 वर्ग मी. |
| 18. | आम के बाग में लगा अन्तः फसले के पांधा का निकाई की कीय आम, अमरूद व आंवला के बागों में लगी अन्तः फसलों के कीडो एवं रोगों की | प्रति १००० वर्ग मी. |
| 19. | रोकथाम हेतु कीटना ाक एवं फफूंदीना ाक स्प्रे का कार्य | яlत 1000 વગ ग ा. |
| 20. | बागों में लगी अन्तः फसले सब्जियों की तुड़ाई उपरान्त कैरट में भरकर बिक्री केन्द्र | प्रति 1000 वर्ग मी. |
| 20. | तक पहुंचाना | 7 |
| 21. | पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फसल बोने हेतु बेड को तैयार करके ड्रिप की पाइप | प्रति100 वर्ग मी. |
| | बिछाने का कार्य। | |
| 22. | पॉली हाउस, नेट हाउस प्रो ट्रे में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरकर बीज बोने का | प्रति 100 बीज |
| | कार्य | |
| 23. | पाली हाउस रासायनिक खाद व सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर बेडो में डालना तथा मिट्टी | प्रति वर्ग मी. |
| _ | में मिलाने का कार्य | |
| 24. | पॉली हाउस एवं नेट हाउस में पौध रोपड़ का कार्य | प्रति वर्ग मी. |
| 25. | पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फॉगर, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई प्रणाली की साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य | प्रति100वर्ग मी. |
| 26. | पॉलीबैग में फर्न की पौध तैयार करना—23 से.मी. X 15 से.मी. पैकेट भरने हेतु मिश्रण | प्रति 100 थैली |
| | (मिट्टी–गोबर की खाद–बालू / मौरंग) बनाना तथा भरना और पौधा लगाना (प्रति 100 | |
| | थैली) | |
| 27. | पौध रोपण का कार्य (पौधे के पिण्डी से पॉलीथीन/घास हटाना, मिट्टी में पौधे की | प्रति १०० पौधे |
| | जगह बनाना, पौध लगाना, मिट्टी दबाना एवं सिंचाई) | |
| 28. | जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों में निकली भाखाओं का विरलन–हर शाखा पर 8 से 10 | प्रति वृक्ष |
| | भाखाओं को छोड़ते हुए अन्य को निकलना | |
| 29. | जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों के थालों में गुड़ाई, खरपतवार निकालना, घास फूस से 6" | प्रति थाला |
| | मोटी परत बिछाकर मिल्चिंग करना | |
| 30. | आम के वृक्षों के थालों में पॉलीथीन की मिल्वंग करना | प्रति थाला |
| 31. | बगीचे में खेत तैयार कर परवल की कटिंग लगाना (50*50 सेमी दूरी) | प्रति 100 वर्ग मी. |
| 32. | बगीचे में खेत तैयार कर मेंड़ो पर 50*50 सेमी दूरी पर जिमीकंद का रोपण | प्रति 100 वर्ग मी. |
| 33. | खेत तैयार कर खाद मिलाकर सिब्जियों की बुवाई / रोपण | प्रति 100 वर्ग मी. |
| 34. | सब्जियों की क्यारियों की निराई–गुड़ाई , आवश्यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार | प्रति 100 वर्ग मी. |
| | होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना | |
| 35. | वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। | प्रति वर्ग मी. |
| 2.0 | पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। | प्रति घण्टा |
| 36. | | |
| 37. | सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। | प्रति वर्ग मी. |
| 38. | बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। | प्रति ढेर |
| | | (5*2.5*1.5 मी.) |
| 39. | वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। | प्रति ढेर |
| | | (3*1.5*0.3 मी.) |
| 40. | कार्बनिक तत्वों (घास–फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। | प्रति ढेर |
| | | (3.5*2.5*1.25) |
| 41. | नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना | प्रति 200 लीटर |
| 42. | जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना | प्रति घण्टा |
| 43. | आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना | प्रति पौधा |
| 44. | खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना | प्रति ट्राली |
| 45. | आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य | प्रति घँटा |
| 45. | जार के तक र नाम र मेर ति मान र एका र मान मेर स्थान स्थान स्थान | 71(1 YCI |

| 46. | प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ | प्रति घण्टा |
|-----|---|--|
| 47. | प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ | प्रति घण्टा |
| 48. | पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई | प्रति घण्टा |
| 49. | समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव | प्रति घण्टा |
| 50. | पोंध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई | श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) ट्रैक्टर द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) |
| 51. | गड्ढे की भराई (खाद तथा अन्य सामग्री के साथ) | प्रति गढ्ढ़ा (1 क्यूबिक फिट) |
| 52. | क्यारियों में रक्खें बीजू पौधों को नेट हाऊसों एवं पाली हाऊसों में शिफ्ट करना | प्रति पौधा। |
| 53. | ग्राफ्टेड पौधों को नेट हाऊसो एवं पाली हाऊसों से निकाल कर ट्रक/अन्य वाहनों में लोड करना | प्रति पौधा। |
| 54. | क्यारियों में तैयार किये गये अमरूद, आँवला एवं बेल आदि के बीजू पौधों को क्यारियों से निकालकर पालीबैग में लगाना व पालीबैग को पौधे लगाने के उपरान्त पाली हाऊसों, नेट हाऊसों एवं क्यारियों में शिफ्ट करना | प्रति पौधा। |
| 55. | पालीबैग में लगे हुए पौधों को क्यारियों में शिफ्ट करने के लिए 5.0 m लम्बी 1.0 m चौड़ी 9.0 इचं गहरी साईज की क्यारियाँ बनाने का कार्य | प्रति वर्ग मीटर। |
| 56. | पाली हाऊसों में लगे कूलिंग पैण्डस की साफ–सफाई का कार्य | प्रति घण्टा |
| 57. | आम, अमरूद, आँवला, बेल, लीची एवं अनार तथा जामुन आदि के ग्राफ्टेड पौधों में नियमित पिचिंग, बीडिंग व सिंचाई आदि का कार्य | प्रति पौधा / माह। |
| 58. | आम में जाला हटाने का कार्य | प्रति घण्टा |
| 59. | अन्तः फसलों की कटाई का कार्य | प्रति हे0 |
| 60. | अन्तः फसलों की मड़ाई का कार्य | प्रति घण्टा |
| 61. | वर्षी द्वारा प्लाटों में हुए कटाव को भरने का कार्य | प्रति घन मी. |
| 62. | पॉली बैग भरने हेतु मिश्रण (खाद, मिट्टी एवं अन्य सामग्री) मिलाकर भरना व पॉली बैग को नेट हाउस / पॉली हाउस में िाफ्ट करने का कार्य (7.5 X 7 इंच) | प्रति पॉली बैग। |
| 63. | कुशल श्रमिक | प्रति घण्टा |
| 64. | अकुशल श्रमिक | प्रति घण्टा |
| 65. | अर्द्धकुशल श्रमिक | प्रति घण्टा |

4. Crop wise Area which includes the trees and field required for intercropping etc. at Rehmankhera of different blocks are given below :-

| Sl.no. | Datails | Block I | Block II | Block III | Block IV | Total (ha.) |
|--------|-------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | Mango | 2.225 | 25.92 | 32.12 | 7.825 | 68.09 |
| 2 | Guava | 2 | | 5.5 | 2.28 | 9.78 |
| 3 | Bel | 0.594 | | 0.25 | 1.75 | 2.594 |
| 4 | Aonla | | | 0.6 | 2 | 2.6 |
| 5 | Litchi | 0.437 | | 0.75 | | 1.187 |
| 6 | Grapes | | 0.25 | | | 0.25 |
| 7 | Jamun | 0.1 | | | 1.5 | 1.6 |
| 8 | Karoda | | | | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Kaitha | | | | 0.75 | 0.75 |
| 10 | Khirni | | | | 0.5 | 0.5 |
| 11 | Emili | | | | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Mahua | | | | 0.5 | 0.5 |
| 13 | Pomgranate | 0.75 | | | | 0.75 |
| 14 | custerd apple | | | 1.5 | | 1.5 |
| 15 | Badhal Karmbola | | | 0.5 | | 0.5 |
| 16 | Mulbery | | | 0.5 | | 0.5 |
| 17 | falsa | | | 0.5 | | 0.5 |
| 18 | Gulab Jamun | | | 0.5 | | 0.5 |
| 19 | Laquat | | | 0.5 | | 0.5 |
| 20 | peach, plum & pear | | | | 0.5 | 0.5 |
| 21 | Banana | | 0.75 | | | 0.75 |
| 22 | Nursery | 0.63 | | | 0.25 | 0.88 |
| 23 | Scion block | 1 | | | | 1 |
| 24 | Road, channals & others | 1.4 | 8.08 | 3.3 | 0.25 | 13.03 |
| 25 | wather station | | | | 0.25 | 0.25 |
| 26 | other crops | 4.444 | 0.18 | 2 | 3 | 9.624 |
| 27 | FYM pit | 0.24 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 1.56 |
| 28 | Water Havesting pond | 0.25 | | | 1.52 | 1.77 |
| 29 | undeveloped Area | 1.1 | | 6.495 | 1.94 | 9.535 |
| | Total(Area in ha) | 15.17 | 35.5 | 55.515 | 26.315 | 132.5 |

| 5. | आर0 बी0 रोड कैम्पस का कार्यक्षेत्र 9 हे0 जिसमें निम्न पेड / पौधे उपलब्ध हैं। | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------|----------|--|--|--|
| | 1. | आम | 50 x 50 मीटर | १४ प्लाट | | | |
| | | | 50 x 50 मीटर से कम | 03 प्लाट | | | |
| | 2. | अमरूद | 50 x 50 मीटर | 06 प्लाट | | | |
| | | | 50 x 50 मीटर से कम | 01 प्लाट | | | |
| | 3. | आवंला | 50 x 50 मीटर | 04 प्लाट | | | |
| | | | 50 x 50 मीटर से कम | ०४ प्लाट | | | |
| | 4. | बेल | 50 x 50 मीटर से कम | 04 प्लाट | | | |
| | 5. | नीबूं | 50 x 50 मीटर | 01 प्लाट | | | |
| | 6. | खाली प्लाट | 50 x 50 मीटर | 05 प्लाट | | | |
| | | | 50 x 50 मीटर से अधिक | 01 प्लाट | | | |
| | | | 50 x 50 मीटर से कम | 05 प्लाट | | | |
| 6. | भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आर.आर.एस.—माल्दा (पश्चिम बंगाल) | | | | | | |
| | 1. | आम | 35.0 एकड़ | | | | |
| | 2. | खाली प्लाट | 35.04 एकड़ | | | | |

Terms & Conditions

- 1. The outsourcing of seasonal jobs for providing *Horticulture Field Work at* CISH Rehmankhera,R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) separately shall have to be undertaken without causing any damage to the Institute properties. In case, any damages is caused by the workers deployed by the contractor to do the work, the same shall be recovered from the contractor, and the total damage will be estimated by the Director, CISH, Lucknow and contractor shall agree for recovery of the same.
- 2. Scope of work: The scope of work as defined in Schedule IIIA Any other minor work may be assigned by the competent Authority without any extra payment.
- 3. The CISH will supply irrigation water at selected site free of cost. However, contractor will make his own arrangements for distribution of water from the point of supply. All essential minor instruments of work, expert manpower and workers have to be arranged at his end and cost. All the major equipments/ implements shall be provided by CISH.
- 4. All minor Horticultural maintenance tools, uniform to the workers will be provided by the Contractor as per requirement, at his own cost.
- 5. Transportation: The contractor shall make his own transportation arrangements for all the workers and the required materials to site of works including for disposal of any waste material to the authorized dumping grounds. No extra charges will be paid by CISH.
- 6. The contractor shall not sublet the work without prior written permission of the Institute.
- 7. Payment for Services work rendered will be made upon monthly submission of pre-receipted bill.
- 8. The above Services shall have to be provided for the entire locality of the Institute premises at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.).
- 9. The agency shall employ good and reliable persons with robust health and clean record preferably within the age group of 21 to 40 years. In case any of the personnel so provided is not found suitable, the Institute shall have the right to ask for their replacement without giving any reasons therefor and the agency shall on receipt of a written communication will have to replace such persons immediately.
- 10. The rates to be quoted separately for Rehmankhera, R.B. Road Campus and CISH-RRS, Malda (W.B.) should include cost of each and every item including transportation cost, manpower cost etc. The Institute shall not bear any extra charge on any account whatsoever i.e. EPF contribution, ESI contribution, Uniform, Liveries, OTA etc.
- 11. Contractor shall have to provide ID cards to each of the employee which would be valid for seeking entry to the premises. The workers have to display identity card as and when they enter into/out CISH, Lucknow.

- 12. The contractor will discharge all his legal obligations in respect of the workers to be employed/ deployed by him for the execution of the work in respect of their wages and service conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time. The contractor shall indemnify and keep indemnified the Council from any claims, loss or damages that may be caused to it on account of any failure to comply with the obligations under various laws. In case of any dispute, the decision of Director of the Institute shall be final and binding on the contractor.
- 13. The selected contractor shall provide the necessary personnel for providing above services separately at CISH, Rehmankhera, R.B. Road Campuses, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) as per labour act provisions prevalent in Govt. of WB/UP/GOI.
- 14. The contractor shall make payment of wages in accordance with Minimum Wages Act by Cheque to the personnel engaged by him by 7th of the following month in the premises of **CISH** in the presence of an officer designated for the purpose by the competent authority CISH, so that there is no disruption in the performance of duties of deployed personnel. Wages should be paid according to the Minimum Wages Act and together with statutory Acts applicable by **Govt. of WB/UP** from time to time. CISH reserves the right to check periodically the status of the payment of wages made by him to personnel deployed.
- 15. The tender <u>duly signed on all pages of the document</u> shall be submitted along with the technical and financial bids in separate envelops superscribed as "wechnical Bid+ and winancial Bid+, failing which the tender shall not be considered."
- 16. This Institute is under the provisions of RTI Act 2005. All information provided by the bidder under this is liable to be disclosed.
- 17. No accommodation/no living place will be provided by the Institute to the personnel deployed by the firm.
- 18. Within 21 (twenty one) days after the issue of notification of award of outsourcing of jobs by the CISH, the Contractor shall furnish performance security -seasonal Horticulture Field Work to the CISH office for an amount of 10% (ten percent) of the total contracted value.
- 19. As compensation for any loss resulting from the suppliers, failure to complete its obligations under the contract shall be recovered from the performance security.
- 20. The performance security seasonal Horticulture Field Work shall be denominated in Indian Rupees and shall be in one of the following forms:
 - a. Demand draft/Pay order of any scheduled bank to be drawn in favor of ICAR Unit . CISH payable at Lucknow
 - b. Bank guarantee issued by scheduled bank in the prescribed form.
- 21. The performance security seasonal Horticulture Field Work will be kept by the CISH and returned to the contractor on completion of CISH contractual obligation satisfactorily.
- 22. The wages shall be disbursed on or before 7th of succeeding month at CISH, Rehmankhera/R. B. Road Campus and CISH-RRS, Malda (W.B.) in the presence of

an authorized representative of this Institute and he shall certify the disbursement of wages to each labourer as per contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

- 23. The contractor shall submit the bills after completion of each month preferably on after 10th day of month. The bills shall be supported with the copy of acknowledgement of payment of wages, for the month & challans of deposits of EPF, Service Tax etc. of previous month. The payment will be made through e-payment as per instructions of Ministry of Finance, Government of India order no. 1(1)/2011/TA/292, dated 31.03.2012 regarding satisfactory execution of services by the officer authorized for this purpose. In case, the prescribed jobs are not completed up to the satisfactory of the authorities, suitable deductions shall be made from the payment at the discretion of Director, Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, Lucknow whose decision will be final and binding on the contractor.
- 24. The Contractor shall be responsible to discharge all their legal obligation of their employees in respect of their wages and other service conditions and shall also comply with all the rules and regulation and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time, viz statutory obligation under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. Minimum wages Act, Workmancs compensation Act EPF & MP Act, Industrial Dispute Act etc. The Contractor shall agree to indemnify himself for any claims, losses or damages that may be caused to the CISH on account of the Contractorcs failure to comply with their obligation under the various laws towards their workers engaged by them or any losses or damages to CISH due to acts/commissions by Contractor.
- 25. Under no circumstances, the workmen of the Contractor shall be treated, regarded or considered or deemed to be the employees of the CISH and the Contractor alone shall be responsible for their remuneration wages and to their benefits service conditions and welfare of all the workers deployed by the agency/contractor and shall indemnify against any claims may arise in respect of the workers act/commission leading to the losses to CISH by the personnel deployed by the Contractor.
- 26. Any compensation for disengagement on account of death, disability of any workers provided for deployment in the Institute campus (working hours), even if such disability manifests after the termination of the contract shall be contractors exclusive liability. The contractor should insure the person engaged by him for job contract work at CISH, Lucknow for all coverage of causality, death or accident.
- 27. The contractor is wholly responsible to provide the personnel in the Institute premises and if any accident/untoward incident happen, on account of improper workmanship with the concerned person during duty, the whole responsibility for setling the case with police/court lies with the contractor.
- 28. Under no circumstances, the Institute shall be made liable or additional monitory involvement other than what has been mutually agreed upon. In case of any of the above contingencies, the one part/first party herein CISH, Lucknow will have the right to terminatethis agreement forthwith without notice and will not be liable to any damages and/or loss which may be suffered by the Contract Agency on account of termination of this agreement.
- 29. If any question or dispute arise between the parties here to or their representative with respect to the meaning or effect of any clauses of this agreement or about the right of liabilities of the parties hereto, then such a question or dispute shall be referred to the arbitrator and such arbitrator shall be appointed by

the ICAR/CISH; his award shall be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 for time being in force in India Union and shall be binding on both the parties hereto.

- 30. This agreement shall be enforceable in Courts situated at Lucknow, U.P. Any suit or application for enforcement of the above shall be filed in the competent court at Lucknow and no other court of any other district of U.P. or outside U.P. shall have jurisdiction in the matter.
- 31. The worker deployed by the contractor shall not develop social relationship with Institute Staff.
- 32. The worker shall be provided with every necessary things required/related to the outsourced job to be performed etc., by the Contractor.
- 33. <u>Failure to Exercise Institute's rights</u>: Any omission on the part of CISH at any time to exercise any of its rights under the terms of the contract of *Horticulture Field Work* shall in no way impair or affect the validity of the terms and the rights of CISH to enforce its rights at any time subsequent.
- 34. <u>Contract period:</u> This agreement with successful Contracting firm/Contractor shall be enforced for a period of 12 months from the date of execution of the contract period. The period of contract could be changed, which is, as per the discretion of the competent authority and can be extended for a further period of one year subject to maximum duration of 2 years during the period of contract on such terms and conditions as are mutually agreed upon.
- **35.** <u>Summary Termination of the Contract</u>: In the event of instances of gross misbehaviour, theft, burglary, moral turpitude, misuse of the Institutes property etc. by the Contractor or by any workmen/staff or agent of the Contractor, CISH may forthwith terminate this Contract summarily without any previous notice to Contractor and Contractor shall have no claim whatsoever against CISH.
- 36. Contractor to vacate the site on Termination/Expiry: Immediately on the termination or expiry of this contract, the Contractor and its employees and agents shall peacefully vacate the premises and handover all articles, equipment, furniture and fixtures belonging to CISH and entrusted in its custody and shall remove all its stores and effects. In case of default, CISH shall be entitled to enter into the same or remove the stores or the effects wherever lying of the Contractor and to dispose of the same by sale or otherwise without being liable for any damage.
- 37. In case the contractor or any of his workmen/staff fails to fulfill their obligations for any day or any number of days to the satisfaction of the Institute for any reason whatsoever he shall be liable for imposition of financial penalty without prejudice to his other rights and Institute shall be entitled to deduct such damages from the amount payable to him.

"Penalty clause/Liquidated damages clause:

- 1. That the contractor shall be responsible for the faithful compliance of the work award order. Any breach or failure to perform the same may result in termination of the work order and forfeiture of the Security deposit.
- An amount of Rs.500/- will be levied as liquidated damages per day.
 Whenever and wherever it is found that the work is not up to the mark at
 any point it will be brought to the notice of supervisory staff of the firm by
 Institute and if no action is taken, liquidated damage clause will be
 invoked.
- 3. Any misconduct/misbehavior on the part of manpower deployed by the agency will be viewed seriously.

The Director, CISH reserves the right to reject any or all Tenders in whole or in part without assigning any reasons therefor. The decision of Director, CISH shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the Contract.

ASSISTANT ADMINIDTRATIVE OFFICER

Financial Bid

(This financial bid to be enclosed in a separate envelop separately for Rehmankhera & R.B. Road Campus)

Last Date for receipt of Tender : 01.12.2016 by 4.00 pm

Date of opening of Technical Bid : 02.12.2016 at 11.00 am

To

The Director,

Central Institute for Subtropical Horticulture,

Rehmankhera, P.O. Kakori,

Lucknow - 227 107

Sir,

I/We wish to submit our Tenders for the job work/service contract for providing **Horticulture Field Work** at CISH, separately for Rehmankhera and R.B. Road Campus,

Lucknow on the following rates.

| | cknow on the tollowing rates. | Dates to be | Dates for | Dates for | ICAD |
|------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| SI. No. | Work to be executed | Rates to be ven as lentioned below | Rates for Rehmankhera | Rates for R.B.Road Campus | ICAR- CISH-RRS- MALDA (WB) |
| 1. | मेड़ों की सफाई व उन पर उग रहे पौधे की जड़ो को निकालने का कार्य | प्रति रनिंग मी. | | | |
| 2. | थाला बनाने का कार्य / थालों की गुड़ाई / थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का कार्य (1 मीटर व्यास) | प्रति थाला | | | |
| 3. | थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय (2 मीटर व्यास) | प्रति थाला | | | |
| 4. | थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय 3 मीटर व्यास) | प्रति थाला | | | |
| 5. | प्लाटों में ट्यवेल द्वारा सिंचाई का कार्य | प्रति है0 | | | |
| 6. | आम व अन्य पीधों में टैंकर द्वारा स्प्रे का कार्य | प्रति टैंकर (2000 ली०) | | | |
| 7. | आम आंवला को सुरक्षित तोड़ने के बाद कैरट भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना | प्रति घण्टा | | | |
| 8. | कीट ना ाकों व सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव | प्रति घण्टा | | | |
| 9. | अमरूद एवं आंवला के पेड़ो में तना भेदक कीट का प्रकोप होने पर तीली द्वारा छेदो की सफाई करके उसमें कीट ना ाक भरना | प्रति घण्टा | | | |
| 10. | आम, अमरूद एवं आंवला के पेड़ो पर जमींन की सतह से 1 मीटर तक तने की पुताई का कार्य | प्रति घण्टा | | | |
| 11. | आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों की कटाई छंटाई उपरान्त गिरे हुए पत्तों एवं डालो को खेत से हटाना | प्रति घण्टा | | | |
| 12. | आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों में प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने का कार्य | प्रति वर्ग मी | | | |
| 13. | जुताई के दौरान ड्रिप पाइप को हटाना एवं जुताई के बाद बिछाना | प्रति है0 | | | |
| 14. | आम, आंवला एवं अमरूद के प्लाटों में अन्तः फसल लगाने हेतु बेड बनाने का कार्य ब़ेडो में गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद का मिश्रण मिलाने का कार्य | प्रति 1000वर्ग मी | | | |
| 15. | अन्तः फसल लगाने हेतु बेडो पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा प्लास्टिक मल्चिंग भीट बिछाने का कार्य; मल्चिंग भीट में छेद करके पौध रोपने का कार्य | प्रति वर्ग मी | | | |
| 16. | आम, अमरूद व सब्जियों के पौधों को सहारा देने हेतु स्टेकिंग का कार्य | प्रति १०० पौधा | | | |
| 17. | अन्तः फसल सब्जियो के पौधों में पिंचिंग एवं ट्रेनिंग उपरान्त कूड़े का निस्तारण | प्रति100 वर्ग मी | | | |
| 18. | आम के बाँग में लगी अन्तः फसले के पौधों की निकाई का कार्य | प्रति 1000 वर्ग मी. | | | |

| अम. अमल्ड त आंखांता के योगों में डाली अन्त पहलती के कील एवं पर्योग की प्रीकार कुल कुलिया कर प्रकार का असर्व अपना असर्व के पर के प्रकार कर किया के प्रकार के प्रकार के प्रकार कर किया के प्रकार के प्रकार कर किया के प्रकार कर किया के प्रकार की भी का असर्व की प्रकार की प्रकार की किया कर का प्रकार की प्रकार की प्रकार की किया कर का प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार की किया कर का प्रकार की प्रकार की किया कर का प्रकार की प्रकार कर की प्रकार की की प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार की की प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार की प्रकार का प्रकार की प्रकार के प्रकर की की प्रकार का प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकर के कि प्रकार का प्रकार के प | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| का सामें के सामें अपने का कार्य 20 सामों में समी अपने कार्यस सीकरीयों की दुवाई उपयास केंदर में मरकल किकों केन्द्र तम परकल किकों केन्द्र तम परकल किकों केन्द्र तम परकल किकों हुं हु के कार्य 21 साम किका में में साम किकों केन्द्र तम परकल किकों हु बढ़ को 32 साम किका में मा मा में | 19. | आम, अमरूद व आंवला के बागों में लगी अन्तः फसलों के | प्रति 1000 वर्ग मी. | | |
| विकास पर पर स्वार कर केंद्र संक्रम कर कर सुवान केंद्र संकर कर सुवान केंद्र संकर कर कर सुवान विकास पर में स्वार संकर कर कर सुवान विकास पर में स्वार संकर कर क | | | | | |
| तैयार अरुके हुए की पाइप विश्वाने का कार्य । 2. पीली काउन, में हारका में हुए में पूर्व पूर्व खाय का मिना भारत पील जोने का कार्य 2. पीली काउन पर हारका में हुए का मुं हैं में पिट्टी पता का कार्य 2. पीली काउन पर वानिक बाद व कुम तत्वों को मिनाजल 2. पीली काउन पर वोने कर हारका में फोर में प्रकार का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पर पर वाणाव का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पर पर वाणाव का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पर विकार टरका 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पील का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पील का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पील का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में फोर पील का कार्य 2. पीली काउन पर वेन हारका में की पीली काउन कार्य 2. पीली काउन के की में की काउन कारा, पील तमाना पीली 100 कीरी 2. पीली काउन के कुम में मिलती माध्याओं को फोर हो हुए 3. पीली काउन माध्या पर के कुम में मिलती माध्याओं को फोर हो हुए 3. पीली काउन का कार्य में की का माध्याओं को फोर हो हुए 3. पीली काउन का कार्य में कार्य के की माध्या माध्याओं का 1. पीली काउन माध्या पर के की में मिलती माध्याओं को फोर हो हुए 3. पीली काउन माध्या पर के की में मिलती माध्याओं का 1. पीली काउन माध्या पर के की में मिलती माध्याओं का 3. पीली काउन माध्या पर के की में माध्या माध्याओं का 3. पीली काउन माध्या पर के की पीली का माध्या माध्या करना 3. पीली काउन माध्या पर के मीलती माध्याओं का 3. पीली काउन माध्या माध्य माध्या माध्य माध्या माध्य माध् | 20. | बागों में लगी अन्तः फसले सब्जियो की तुड़ाई उपरान्त कैरट में भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना | | | |
| शिश्रण महकर कील बोने का कार्य 23. पानी हाजार लायानिक कार वा शुक्त तत्वों को मिलाकर बोनो में आलाग हजा किरही में मिलाने का कार्य 24. पानी हाजार लायानिक में मार राजा हजा कर कार्य 25. पानी हाजार लायानिक में मार राजा हजा कर जो पानी हाजार लाया हो हाजार में कार्य हुए कर हाजा में कार्य हुए कर हुए हुए कर हुए हुए कर हुए हुए कर हुए हुए हुए कर हुए | 21. | तैयार करके ड्रिप की पाइप बिछाने का कार्य। | प्रति100 वर्ग मी. | | |
| 23. पाली हाउस सर्वामिक खाद व सुक्त सर्वा को मिनाव्य हे असे आवला क्या मिट्टी में सिलाने का कार्य प्रति सर्वा को पाले स्थान कर सिलाव्य के साम के साम कार्य प्रति सर्व को में से प्रति सर्व को प्रति स्थान के कार्य प्रति सर्व को प्रति स्थान के साम कर स्थान के कार्य प्रति सर्व को प्रति स्थान के साम कर स्थान के कार्य प्रति सर्व को प्रति स्थान के साम कर स्थान के कार्य प्रति सर्व को प्रति स्थान के साम कर स्थान के कार्य प्रति सर्व को प्रति स्थान के साम कर स्थान के कार्य प्रति सर्व कार्य स्थान के साम कर स | 22. | | प्रति 100 बीज | | |
| 24. पीती हाजल एवं नेट हालस में पीस देणक का कार्य प्रति हाजल एवं नेट हालस में फीन हिस्कार प्रति हाल में फीन हिस्कार पर पर हालस में फीन हिस्कार पर पर हालस में फीन हिस्कार पर पर होंगे हैं है | 23. | पाली हाउस रासायनिक खाद व सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर | प्रति वर्ग मी. | | |
| सिवार्स प्रणाली की साफ सफाई पर रख रखा रखाज का कार्य प्रिति 100 थैली सेकंट मध्ये हो प्रीव की पीच दीयर करना—23 सेमी. X15 से. मी. थेकंट मध्ये हो प्रीवण का कार्य (पिच के पिच करना—23 सेमी. X15 से. मी. थेकंट मध्ये हो प्रिक्त मिश्रण हिम्हण | 24. | | प्रति वर्ग मी. | | |
| भी. फीट परने हेतु विश्वण (प्रेट्डीगोबर की खाद-बालू/-पीरंग) बनाना तथा परना और पीधा लगाना (धिति 100 थेटी) 27. पीच पीरण का काय (पीचे के पिण्डी से पॉलीबीन/-घास हटाम, मिट्टी में पीके की जगह बनागा, पीक लगाना, मिट्टी स्वाग एवं शिवाई) 28. जीणहिंदित आम के यूर्वों के खानों में गुराई, खरपतवार मिलाकता, घास फूल से 6° मोटी परत विज्ञकर मिट्टिंग को किलाना 29. जीणहिंदित आम के यूर्वों के खानों में गुराई, खरपतवार निकालना, घास फूल से 6° मोटी परत विज्ञकर मिट्टिंग कारण के यूर्वों के खानों में पॉलीबीन की मिलेवा करना 30. आम के यूर्वों के खानों में पॉलीबीन की मिलेवा करना 31. बनीवें ने खत तैयार कर परवल की किटिंग लगाना (क° 50 सेमी दूरी) 32. बनी वें चें चौच तीयार कर मेंद्रों पर किलाना (क° 50 सेमी दूरी) 33. खेल तैयार कर खाद मिलाकर सक्तिओं की बुराई/ रोपण 34. सक्तिओं की काशों में पंति होंगे के पुराई, आव कलतानुस्तार प्रति 100 वर्ग मी. प् | 25. | | प्रति100वर्ग मी. | | |
| प्रीत ते रोगण का कार्य (पीचे के पिछणी से पॉलीबीन प्रधास प्रति 100 पीचे | 26. | मी. पैकेट भरने हेतु मिश्रण (मिट्टी—गोबर की खाद—बालू / मौरंग) बनाना तथा भरना और पौधा लगाना | प्रति 100 थैली | | |
| श्रीणोद्धरित आप के वृक्षों में निकली भाषाओं का अंदित हुए अन्य को निकलम श्रीणे को छोड़ते हुए अन्य को निकलम श्रीणे के छोड़ते हुए अन्य को निकलम श्रीणे के छोड़ते हुए अन्य को निकलम श्रीणे करना | 27. | पौध रोपण का कार्य (पौधे के पिण्डी से पॉलीथीन / घास हटाना, मिट्टी में पौधे की जगह बनाना, पौध लगाना, | प्रति १०० पौधे | | |
| तिकालना, घास फूस से 6° मोटी परत बिछाकर मिल्बंग करना 30. आम के युशों के धालों में पॉलीधीन की मिल्बंग करना 31. बगीधे में खेत तैयार कर परवल की किटेंग लगाना (50°50 सेनी दूरी) 32. बगीधे में खेत तैयार कर परवल की किटेंग लगाना (50°50 सेनी दूरी) 33. खेत तैयार कर खाद मिलाकर सब्सियों की बुवाई/रोपण 34. सब्जियों की क्यारियों की निशाई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम बिक्रय बिंदु तक पहुंधाना 35. वर्ष में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास प्रित्त 100 वर्ग मी. 36. पंडों की कटाई छटाई का कार्य। 37. सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी वनाना और पीयों की रोचाई। 38. बर्याडायनीनिक कम्मीट का बेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों वा पक्रत करना (5°25°1.5 मी.) 39. वर्मीकम्मीट बनाने का, छानने एवं बैंग भरने का कार्य। 40. कार्बनिक तत्यां (घास—फूस) का एकत्र करना और नाउंप कि के पीर के कम्मीप्ट बनाना। 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक प्रति 20 लीटर कीटनाशक को छनना और आम पर स्वे करना 42. जीविक कीटनाशक को छनना और आम पर से करना 43. आम के पेड़ों में पॉलीधीन बांधना और ग्रीस लगाना 44. खाद के गड़के से गोवर की खाद लाना और पाट में प्रति घेंंं प्रति प्रति या प्रति घेंं प्रति प्रति या प्रति घेंं प्रति प्रति या प्रति घेंं प्रति करना 45. आम के पीर्धों में बीविंग करना/वीविंग हटाने का कार्य प्रति घेंं प्रति घेंं प्रति प्रति प्रति प्रति मां प्रति घेंं प्रति करना 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ प्रति घेंंच प्रति घेंंच प्रति घेंंच पर में साथ प्रति कार्य प्रति घेंंच पर मिलावा करण ट्रैक्टर वेंबलर के साथ प्रति घेंंच पर मिलावा करण ट्रेक्टर वेंबलर के साथ प्रति घण्टा 48. चेंडों की सुर्वी टहानियों की कटाई-छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा प्रिक्त हांंच प्रति पण्टा प्रिक्त हांंच प्रति पण्टा प्रति घण्टा | 28. | जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों में निकली भाखाओं का विरलन–हर भाखा पर 8 से 10 भाखाओं को छोड़ते हुए | प्रति वृक्ष | | |
| 31. बगीचे में खेत तैयार कर परवल की किटंग लगाना (60°50 सेमी दूरी) पर (60°50 सेमी दूरी) पर (जिमीकंद का रोपण का कार्य (जिमीकंद का पहुंचाना (जिमीकंद का पहुंचाना (जिमीकंद का रोकंप के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य (जिमीकंद का रोकंप के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य (जिमीकंद का रोकंप के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य (जिमीकंद का रोजंप प्रति वर्ग मी) (जिमीकंद का रोजंप प्रति की रोपाई (जिमीकंद का रोजंप प्रति वर्ग मी) (जिमीकंद का रोजंप प्रति की रोपाई (जिमीकंद का रोजंप प्रति की रोपाई (जिमीकंद का रोजंप प्रति के राजंप प्रति वर्ग मी) (जिमकंद का रोजंप प्रति के राजंप राजंप प्रति के राजंप प्रति के राजंप राजंप राजंप राजंप राजंप राजंप राजंप राजंप राजंप (जिम प्रति कर राजंप राज | 29. | निकालना, घास फूस से 6" मोटी परत बिछाकर मल्चिंग | प्रति थाला | | |
| (50*50 सेमी दूरी) 32. बरावि में खेत तैयार कर मेंडो पर 50*50 सेमी दूरी पर जिमीक में खेत तैयार कर खाद मिलाकर सब्जियों की बुवाई /रोपण प्रित 100 वर्ग मी. | 30. | | | | |
| जिमीकंद का रोपण प्रति विद्या कर खाद मिलाकर सकियों की बुवाई / रोपण प्रति 100 वर्ग मी. | 31. | | प्रति 100 वर्ग मी. | | |
| 34. सब्जियों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आब यकतानुसार दवा का छिड़काब, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना 35. वर्षों में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। 36. पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। 37. सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पोयों को रोपाई। 38. बयोडायनिमिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। 39. वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) 40. कार्बनिक तत्वों (धास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप क्रमोस्ट बनाना। 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा जनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जीविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति घण्टा 43. आम के पेड़ों में पॉलीथीन बांचना और ग्रीस लगाना 44. खाद के गड़ढें से गोबर की खाद लाना और प्रात पाना। 45. आम के पीड़ों में थेथिंग करना/थेविंग हटाने का कार्य 45. आम के पीड़ों में थेथिंग करना/थेविंग हटाने का कार्य 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ 48. पेड़ों की सुखी टहानियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 50. पीख रोपड़ हेतु गड़ढें की खुदाई 18. पंडा के सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा के सुखी उपरित्र प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव 18. पंडा की सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा की सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा के साथ प्रति घण्टा 18. पंडा की सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा के सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा कि सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा कि सुखी टहानियों की कटाई—छटाई 18. पंडा के सुखी हुचाई | 32. | | प्रति 100 वर्ग मी. | | |
| त्या का छिडकाव, तैयार होने पर जुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुँचाना 35. वर्षी में होने वाले कटाव को रोकमे के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। 36. पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। 37. सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। 38. बयोडायनमिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बीनेक पदार्थों का एकत्र करना। 39. वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैंग भरने का कार्य। प्रिते ढेर (3*1.5*0.3 मी.) 40. कार्बीनेक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। 41. नीम की पतियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कम्पोस्ट बनाना। 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना 44. जीविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना 44. खाद के गड़ढे से गोंबर की खाद लाना और प्लाट में डालना 45. आम के पेड़ों में पॉलीथीन बांचना और प्लाट में डालना 45. आम के पीधों में बेविंग करना ∕ बेविंग हटाने का कार्य 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व व्यानों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई पति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव पीट रोपड़ हेतु गड़ढे की खुवाई प्रित घण्टा प्रिति घण्टा प्रिति घण्टा पति घण्टा | 33. | खेत तैयार कर खाद मिलाकर सब्जियों की बवाई / रोपण | पति 100 वर्ग मी | | |
| 35. वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। प्रति वर्ग मी. वानाना और पीधों की रोपाई प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. वानाना और पीधों की रोपाई प्रति वर्ग कर एकत्र करना । (\$*2.5*1.5 मी.) प्रति वर्र का एकत्र करना । (\$*2.5*1.5 मी.) प्रति वर्र (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वर्र (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वर्र कम्पोस्ट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य । प्रति वर्र (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वर्र कम्पोस्ट बनाना । (3.5*2.5*1.25) प्रति वर्र कम्पोस्ट बनाना । (3.5*2.5*1.25) प्रति वर्ष कम्पोस्ट बनाना । प्रति वर्ष कम्पोस्ट बनाना । प्रति वर्ष कम्पोस्ट बनाना । प्रति प्रति वर्ण किटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति प्रवि वर्ण किटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति प्रवि वर्ण प्रति वर्ण वर्ण कम्पोस्ट की खाद लाना और स्वाम प्रति प्रवि वर्ण वर्ण कम्पोस्त की खाद लाना और स्वाम प्रति प्रवि वर्ण वर्ण कम्पोम्क प्रक्षेत्रों पर समयानुसार जुताई का कार्य क्रवर व प्रति घण्टा प्रति प्रवि वर्ण प्रति प्रवि वर्ण साथ प्रति प्रवि वर्ण प्रति प्रवि वर्ण प्रति प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रवाम प्रति प्रवाम प्रव | | | | | |
| 37. सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउंट के अनुसार क्यारी बनाना और पौंघों की रोपाई। 38. बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों प्रित ढेर का एकत्र करना। (5*2.5*1.5 मी.) 39. वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैंग भरने का कार्य। प्रित ढेर (3*1.5*0.3 मी.) 40. कार्बनिक तत्वों (धास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। (3.5*2.5*1.25) 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रित घण्टा 43. आम के पेड़ों में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना प्रित पौंधा 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना 45. आम के पौंघों में थैंचिंग करना / थैंचेंग हटाने का कार्य प्रति घण्टा यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य द्रैक्टर व यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूर्खी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक फ्रिक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा प्रति चण्टा | | सिंजयों की क्यारियों की निराई-गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु | | | |
| बनाना और पौधों की रोपाई | 34. | सब्जियों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास | प्रति 100 वर्ग मी. | | |
| का एकत्र करना। 39. वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। प्रित ढेर (3*1.5*0.3 मी.) 40. कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रित घण्टा 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना प्रित पौंधा 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में द्वालना 45. आम के पौंधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रित घण्टा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौंध रोपड़ हेतु गड़ढे की खुदाई प्रमिक द्वारा: (1 क्यूबिक फिट) | 34. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. | | |
| 39. वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। 40. कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना 45. आम के पौधों में थैचिंग करना/थैविंग हटाने का कार्य 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव 50. पौध रोपड़ हेतु गड़ढे की खुदाई प्रित घण्टा प्रति घण्टा | 34. 35. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा | | |
| 40. कार्बनिक तत्यों (घास-फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। (3.5*2.5*1.25) 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति घण्टा 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना प्रति पौधा 44. खाद के गड्ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना 45. आम के पौधों में थैचिंग करना/थैचिंग हटाने का कार्य प्रति घण्टा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनमिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. | | |
| 41. नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति घण्टा 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना प्रति पौधा 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में प्रति ट्राली डालना 45. आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रति घंटा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व प्रति घण्टा 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई – छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड़ढे की खुदाई अमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पीधों की रोपाई। बयोडायनमिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर | | |
| 42. जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना प्रति घण्टा 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और प्रीस लगाना प्रति पौधा 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना प्रति ट्राली 45. आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रति घंटा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ प्रति घण्टा 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई - छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड़ढे की खुदाई श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) (2) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थी का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति ढेर | | |
| 43. आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना प्रति पौधा 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में प्रति ट्राली डालना 45. आम के पौधों में थैचिंग करना/थैचिंग हटाने का कार्य प्रति घँटा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व प्रति घण्टा 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड़ढे की खुदाई श्रीमक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पोधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थी का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति ढेर (3.5*2.5*1.25) | | |
| 44. खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में प्रित ट्राली डालना 45. आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रित घँटा 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व प्रित घण्टा यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रित घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रित घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रित घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई श्रिमक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थी का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति वेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर | | |
| 46. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ प्रति घण्टा 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पोध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पीधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति ढेर (3.5*2.5*1.25) प्रति वर्ग मी. | | |
| यन्त्रों के साथ 47. प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ प्रति घण्टा 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई-छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) (2 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिमक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थी का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ों में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढें से गोबर की खाद लाना और प्लाट में | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति ढेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा प्रति पेंधा | | |
| 48. पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई प्रति घण्टा 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) (2) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई, आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिमक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ों में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढ़ें से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना आम के पीधों में थैविंग करना / थैविंग हटाने का कार्य | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वर्ग मी. प्रति घण्टा प्रति वर्ग मी. प्रति ढेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति ढेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति ढेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा प्रति पौधा प्रति ट्राली | | |
| 49. समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव प्रति घण्टा 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई श्रीमक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पित्तयां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ो में पॉलीधीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति वेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वेर (3.6*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा प्रति पौधा प्रति द्राली प्रति घण्टा प्रति घण्टा प्रति घण्टा | | |
| 50. पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई शिमक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिमक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पित्तयां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ों में पॉलीधीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति वेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा प्रति पैंधा प्रति द्रंग प्रति देर। प्रति घण्टा प्रति घण्टा प्रति घण्टा | | |
| (1 क्यूबिक फिट) | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनानो का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ों में पॉलीधीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढें से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना आम के पौधों में थैचिंग करना / थैचिंग हटाने का कार्य प्रयोगिक प्रक्षेत्रों पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति वेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा | | |
| | 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. | सिब्जयों की क्यारियों की निराई—गुड़ाई , आव यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना वर्षी में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य। पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य। सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई। बयोडायनिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थों का एकत्र करना। वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य। कार्बनिक तत्वों (घास—फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना। नीम की पत्त्वां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना आम के पेड़ों में पॉलीधीन बांधना और ग्रीस लगाना खाद के गड़ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना आम के पौधों में थैचिंग करना/थैचिंग हटाने का कार्य प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ पेड़ों की सूखी टहनियों की कटाई—छटाई समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव | प्रति 100 वर्ग मी. प्रति वेर (5*2.5*1.5 मी.) प्रति वेर (3*1.5*0.3 मी.) प्रति वेर (3.5*2.5*1.25) प्रति 200 लीटर प्रति घण्टा प्रति घण्टा | | |

| | | (1 क्यूबिक फिट) | | |
|-----|--|---------------------------------|--|--|
| 51. | गड्ढे की भराई (खाद तथा अन्य सामग्री के साथ) | प्रति गढ्ढ़ा (1 क्यूबिक फिट) | | |
| 52. | क्यारियों में रक्खें बीजू पौधों को नेट हाऊसों एवं पाली हाऊसों में शिफ्ट करना | प्रति पौधा। | | |
| 53. | ग्राफ्टेड पौधों को नेट हाऊसो एवं पाली हाऊसों से निकाल कर ट्रक/अन्य वाहनों में लोड करना | प्रति पौधा। | | |
| 54. | क्यारियों में तैयार किये गये अमरूद, ऑवला एवं बेल आदि के बीजू पौधों को क्यारियों से निकालकर पालीबैग में लगाना व पालीबैग को पौधे लगाने के उपरान्त पाली हाऊसों, नेट हाऊसों एवं क्यारियों में शिपट करना | प्रति पौधा। | | |
| 55. | पालीबैग में लगे हुए पौधों को क्यारियों में शिफ्ट करने के लिए 5.0 m लम्बी 1.0 m चौड़ी 9.0 इचं गहरी साईज की क्यारियाँ बनाने का कार्य | प्रति वर्ग मीटर। | | |
| 56. | पाली हाऊसों में लगे कूलिंग पैण्डस की साफ-सफाई का कार्य | प्रति घण्टा | | |
| 57. | आम, अमरूद, ऑवला, बेल, लीची एवं अनार तथा जामुन आदि के ग्राफ्टेड पौधों में नियमित पिचिंग, बीडिंग व सिंचाई आदि का कार्य | प्रति पौधा / माह | | |
| 58. | आम में जाला हटाने का कार्य | प्रति घण्टा | | |
| 59. | अन्तः फसलों की कटाई का कार्य | प्रति हे0 | | |
| 60. | अन्तः फसलों की मड़ाई का कार्य | प्रति घण्टा | | |
| 61. | वर्षा द्वारा प्लाटों में हुए कटाव को भरने का कार्य | प्रति घन मी. | | |
| 62. | पॉली बैंग भरने हेतु मिश्रण (खाद, मिट्टी एवं अन्य सामग्री) मिलाकर भरना व पॉली बैग को नेट हाउस/पॉली हाउस में शिफ्ट करने का कार्य (7.5 X 7 इंच) | प्रति पॉली बैग। | | |
| 63. | कुशल श्रमिक | प्रति घण्टा | | |
| 64. | अकुशल श्रमिक | प्रति घण्टा | | |
| 65. | अर्द्धकुशल श्रमिक | प्रति घण्टा | | |

I/We agree to forfeit of the Earnest money, if I/We failed to comply with any of the terms and conditions in whole or in part laid down in the tender form.

I/We have carefully read the Terms & Conditions of the Tender and are agreed to abide by these in letter & spiret.

signature

Name & Address of the Firm

Telephone/Mobile No.

Technical Bid

The following documents are required to be enclosed along with the technical bid in sealed envelop.

- Registration certificate of the firm under the work contract of the Govt. of UP/GOI.
- b) Minimum turnover of the firm not less than Rs.25,00,000.00 (Rupees Twenty five lakhs only) during the last financial year.
- c) Last three years continuous experience of the firm in the field of providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations provide the details in enclosed tabular form (Annexure-.
- d) Certified Balance Sheet of the firm for 2014-15 & 2015-16 (two years) of the service contract by the Chartered Accountant.
- e) Duly certified copies of the satisfactory services in the organization of State/Government of India where the Tenderer has provided the services for the last three years.
- f) Employee EPF registration certificate issued by local govt. etc.
- g) Employee ESI registration certificate issued by local govt. etc.
- h) Nos. of labour registered under ESI & EPF separately. Minimum 20 nos. (labour) required and their ESI & EPF contributions. Documentary proof of vouchers to be required and may be attached.
- i) The agency must have registration with service tax department and submit a xerox copy.
- j) It should be declared by the tenderer that, whether the firm has any legal suit/criminal case pending against it for violation to PF/ESI, Minimum Wages Act or other laws (give details). The firm/agency must enclose a certificate indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated ag ainst them on a non Judicial stemp paper of Rs.10.00.
